रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1989/ अग्रहायण 4, 1911
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1989/AGRAHAYANA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।
General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1989

सा.का.नि. 864 :—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग (1956) के सदस्य श्री के० के० पुरी को दिनांक 17 अक्तूबर 1989 (पूर्वाह्न) से रु. 7300-7600/- के वेतनमान में अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं. 1/7/89-अ.वि.वि.सं./कार्मिक-3]

बुआ सिंह, निदेशक (पुलिस)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Institute of Criminology and Forensic Science)

New Delhi, the 6th November, 1989

G.S.R. 864.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Puri, a member of Indian Police Service, borne on the Madhya Pradesh Cadre (56) as Director, Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi in the pay scale of Rs 7300—7600 with effect from the forenoon of 17th October, 1989.

[No. 1/7/89-ICFS|Pers. III]

BUA SINGH, Director (Police)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

सा.का.नि. 865 :—राष्ट्रपति श्री के० एस० छाबड़ा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 1, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय) में रु. 3000-100-3500-125-4500 के वेतनमान में दिनांक 30-10-89 के अपराह्न से सहायक निदेशक (रसायन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

[सं० 3/21/86-अविवि.सं.]

के०के० पुरी, निदेशक

3284 GI|89—1

सत्यापित 04-01-22
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces ; thereafter they may be continued on re-employment.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years)" ;

(vii) under column 13 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation cases) consisting of :—

1. Director (Admn.) —Chairman
2. Under Secretary (to be nominated) —Member
3. Under Secretary (Administration) —Member

[F. No. A-12018/2/87-Admn. I (B)]
T. B. SITARAMAN, Under Secy.

Note.—Principal rules were published vide GSR No. 534, Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th July, 1986.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1989

सा. का. नि. 880 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और की गई और किए जाने के लिए छोड़ी गई चीजों के सिवाय भारतीय रेल कम्प्यूटर संगठन (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल के इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग विभाग में विभिन्न राजपत्रित पदों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) ये नियम भारतीय रेल, इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग विभाग (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1989 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

4. अर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति : (क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो, या विवाह की संविदा की हो, या (ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप से दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध से किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को छूट देने का आदेश दे सकती है।

6. निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को विचारार्थ भेजा जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों में दिए गए उपबंधों का इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयुसीमा	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य
1	2	3	4	5	6	7
1. वरिष्ठ इलेक्ट्रानी डेटा प्रोसेसिंग प्रबंधक	*13 (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। (फीडर कोटि के विभागीय अधिकारी	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित गैर-लिपिकीय	3700-125-4700-150-5000रु.	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

प्रत्यायित
04-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

	जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । इसी भांति प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)		

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

भर्ती की पद्धति/सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी है तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
11	12
(i) पदोन्नति द्वारा 20% (ii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 80%	पदोन्नति : वरिष्ठ प्रोग्रामर/वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक को उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन यूनिटों/रेलवे बोर्ड सचिवालय अ. अ. और मा. सं. के अधिकारी जो : (क) 1. नियमित सदृश पद पर हो अन्यथा 2. जिनकी 3000–4500 रु. के वेतनमान वाले या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हों ; और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों 1. किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से सांख्यिकी गणित संक्रिया विज्ञान/भौतिक या अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि । 2. इलैक्ट्रोनी डेटा प्रोसेसिंग/कम्प्यूटर आरिएंटेड आप्टीमाइजेशन, सूचना प्रणाली का 10 वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्षों का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रेमिंग सिस्टम डिजाइन में हो ।

04-01-22
सत्यापित सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	परिस्थितियां भर्ती के लिए सं. लो. से आ. से परामर्श लेना है।
13	14
ग्रुप "क" वि. प. स. (पदोन्नति के विचारार्थ): 1. अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आ.—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड—सदस्य 3. वित्त आयुक्त, रेलें—सदस्य 4. रेलवे बोर्ड के चार—सदस्य	सं. लो. से. आ. से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है

1	2	3	4	5	6	7
2. वरिष्ठ प्रोग्रामर/वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक	30* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। !! पदोन्नत व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी भांति प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य सांवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित गैर लिपिकवर्गीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्धारित तिथि भारत में उम्मीदवारों (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वालों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम होगी।	नहीं

8	9	10
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी के साथ)/संक्रिया विज्ञान/भौतिकी या अर्थशास्त्र वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। (ii) इलेक्ट्रानी डेटा प्रोसेसिंग का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से इलैक्ट्रानिक कंप्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रेमिंग का 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सं. लो. से. आ. के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। 2. अनुभव की अर्हता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबद्ध उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में सं. लो. से. आ. की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवार इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वांछनीय : (i) इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या अनिवार्य अर्हताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी एक में डाक्टरेट की उपाधि। (ii) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/सिस्टम अभिकल्प/विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण।	नहीं	पदोन्नत अधिकारियों के लिए 2 वर्ष और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक वर्ष।

सत्यापित
05-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

11	12
(i) 20% पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (ii) 80% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति विश्लेषक प्रोग्रामर/सिस्टम विश्लेषक/सहायक डेटा प्रोसेसिंग अधिकारी/सहायक डेटा उपक्रम अधिकारी ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा के बाद। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन/इकाइयां/रेलवे बोर्ड सचिवालय/अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्यरत, अन्यथा (ii) 2200-4000 रु. के वेतनमान वाले या समकक्ष पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा, (iii) अन्यथा : (iv) 2000-3500 रु. के वेतन वाले या समकक्ष पदों पर 8 वर्षों की नियमित सेवा,; और (ख) सीधी भर्ती के अधिकारियों के लिए कालम 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखना। (फीडर-कोटे के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

13	14
ग्रुप "क" वि. प. स. (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, सं. लो. से. आ. अध्यक्ष। 2. कार्यपालक निदेशक लेखा विकास, रेलवे बोर्ड सदस्य। 3. कार्यपालक निदेशक प्रबन्ध सेवाएं, रेलवे बोर्ड सदस्य ग्रुप "क" वि. प. स. पुष्टिकरण हेतु विचार करने के लिए अधिसूचना के समय दिया जाए। टिप्पणी : पुष्टिकरण से संबंधित वि. प. स. की कार्यवाही आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। लेकिन यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाए तो अध्यक्ष या सं. लो. से. आ. के सदस्य की अध्यक्षता में वि. प. सं. को एक नई बैठक द्वारा आयोजित की जाएगी।	आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7	8
3. प्रोग्रामर/सिस्टम विश्लेषक/सहायक डेटा प्रोसेसिंग अधिकारी/सहायक डेटा प्रिपरेशन अधिकारी।	14* (1989)	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ख" राजपत्रित गैर-लिपिकवर्गीय	2000-60-2300 चयन द.रो.-75-3200 100-3500रु.	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है।) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारण तिथि भारत के उम्मीदवारों (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वालों के अलावा) से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	नहीं	अनिवार्य : (क) (i) सांख्यिकी/गणित (सांख्यिकी सहित) संक्रिया विज्ञान/भौतिकी या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से इंजीनियरी/कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि। (ii) इलेक्ट्रानी कम्प्यूटर पर वास्तविक प्रोग्रेमिंग का 1 वर्ष का अनुभव या इलेक्ट्रानी कंप्यूटर के संचालन का 1 वर्ष का अनुभव (पद की आवश्यकता के आधार पर)।	

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
टिप्पणी:—अनुभव की अर्हता में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति/और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में सं. लो. से. आ. की यह राय हो कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

सत्यापित 04-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

1	2	3	4	5	6	7	8
वांछित (क) किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रोग्रेमिंग सिस्टम अभिकल्प/विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण । (ख) एक या अधिक प्रोग्रेमिंग भाषाओं का ज्ञान (भर्ती के समय स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए) ।							(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से गणित (सांख्यिकी सहित) /भौतिकी/ सांख्यिकी वाणिज्य) सांख्यिकी सहित (अर्थशास्त्र) (सांख्यिकी सहित) में स्नातक की उपाधि । (ii) इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर पर प्रोग्रेमिंग के एक वर्ष के अनुभव सहित इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर के संचालन का 7 वर्ष का अनुभव । टिप्पणी:--अन्यथा अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सं. लो. से. आ. के विवेक के आधार पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।

9	10	11	12	13	14
आयु --नहीं शैक्षिक अर्हता --हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा पदोन्नति अन्यथा स्थानांतरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	इ डी पी विभाग में कार्यरत ग्रुप "ग" के उन कर्मचारियों में से जो 1400/- रुपए के न्यूनतम ग्रेड वाले पद पर कार्यरत हों, और उच्चतर ग्रुप "ग" ग्रेड में नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों में से चयन द्वारा (जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षा शामिल है) बशर्ते उन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और 2050/- रुपए तक के प्रत्रम पर पहुंच गए हों । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार/क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/रेलवे बोर्ड सचिवालय/अनु. अभि. और मानक संगठन में अधिकारी	ग्रुप "ख" वि. प. स. (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. वि. सं. एवं मु. ले. अ. --अध्यक्ष 2. मुख्य कार्मिक अधिसहित दो अन्य विभागाध्यक्ष---सदस्य ग्रुप "ख" वि. प. स. भर्ती के नियमों को अधिसूचित करने से पूर्व दिया जाए टिप्पणी:--गुष्टिकरण से संबंधित वि. प. स. को कार्यवाही आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी लेकिन यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में वि. प. स. की एक नयी बैठक बुलायी जाएगी ।	पदों पर सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

9	10	11	12	13	14
			(क) (1) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या (2) 1640--2900 रुपए या समकक्ष वेतनमान वाले पद		

05-01-22
सत्यापित सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

पर 3 वर्ष की नियमित सेवा हो, या

(3) 1400—2300 रुपए या समकक्ष वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा, और

(ख) सीधे भर्ती अधिकारियों के लिए कालम 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं रखना ।

(फीडर कोटि के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । इसी भांति प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

[सं. 85/ई (जी. आर.) 1/14/2]

लव देव राज, संयुक्त निदेशक स्था. (राजपत्रित भर्ती)

MINISTY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 1st April, 1989

G.S.R. 880.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Indian Railways Computer Organisation (Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969 except as respect things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various gazetted posts in the Electronic Data Processing Department on the Indian Railways.

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways, Electronic Data Processing Department (Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, Classification and Scales of Pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. — The method of recruitment to the said posts, age limits, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government whose decision shall be final.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
1. Senior Electronic Data Processing Manager.	*13 (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000.

04-01-22

सत्यापित सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

Whether selection post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
5	6	7	8
Selection.	N.A.	No	N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
N.A.	No	(i) 20% by promotion. (ii) 80% by transfer on deputation.

In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
12	13	14
Promotion : Senior Programmer/Senior Systems Analyst with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government/Zonal Railways/Product on Units/Railway Board's Secretariat/Research Designs & Standards Organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; failing which (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and (b) possessing the following qualifications:— (i) Master's degree in Statistics/ Mathematics/Operations Research/ Physics or Economics/Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering or Computer Science from a recognised University or equivalent; and (ii) 10 years experience of electronic data processing/computer oriented optimisation, Information system out of which 5 years experience	Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman. 2. Chairman, Railway Board —Member 3. Financial Commissioner for Railways—Member. 4. Four Members of the Railway Board—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necesary.

सत्यापित
05-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

12
should be on actual computer programming & systems design. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).

1	2	3	4	5
2. Senior Programmer/Senior Systems Analyst.	30* (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection

6	7	8
Not exceeding 45 years (Relaxable for Governments servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.	Essential (i) Master's degree in Statistics/ Mathematics (with statistics)/ Operations Research/Physics or Economics/Commerce (with statistics) or Degree in Engineering/ Computer Science of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years experience of electronic data processing work out of which 3 years experience should be in actual programming on an electronic computer. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.

8	9	10	11
Note 2 : The qualifications (a) experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	2 years for promotees and one year for direct recruits	(i) 20% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 80% by transfer on deputation failing which by direct recruitment.

सत्यापित 04.01.22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

8
Desirable (i) Master's degree in Engineering or Doctorate in any of the subjects mentioned in essential qualifications. (ii) Formal training in computer programming/systems design/ analysis.

12	13	14
Promotion Programmers/Systems Analysts/Assistant Data Processing Officers/Assistant Data Preparation Officers with 8 years regular service in the grade. Transfer on deputation: Officers of the Central Government/Zonal Railways/Production Units/Railway Board's Secretariat/Research Designs & Standards Organisation:- (a) (i) holding analogous posts or regular basis failing which (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; failing which (iii) with 8 years reglar service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications & experience prescribed for direct recruits under Column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years.	Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman. 2. Executive Director, Accounting Development Railway Board —Member. 3. Executive Director, Management Services Railway Board—Member Group 'A' DPC (for considering confirmation) May be given at the time of notification. Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Consultation with the Commission necessary.

1	2	3	4	5
3. Programmer/Systems Analyst/Assistant Data Processing Officers/ Assistant Data Preparation Officers.	14 (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300 EB-75-3200-100-3500.	Selection

सत्यापित
04-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

6	7	8
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No.	Essential : A.(i) Master's Degree in Statistics/Mathematics (with Statistics)/Operations Research/ Physics or Economics (with Statistics)/ Commerce (with Statistics). OR Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent. (ii) 1 year's experience of actual programming on an electronic computer or in the operation of an electronic computer (depending upon the requirement of the post). OR (i) Bachelor's degree in Mathematics (with statistics/Physics/Statistics/Commerce (with Statistics)/Economics (with Statistics) from a recognised University or equivalent. (ii) 7 Years experience of operation an electronic computer including one year experience of actual programming on an electronic computer. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note : The qualifications (a) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSCs is of the opinion that sufficient number, of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Formal training in computer programming systems design/analysis from a recognised Institute. (ii) Knowledge of one or more programming languages (to be indicated specifically at the time of recruitment).

9	10	11
Age : No EQs : Yes	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing which by direct recruitment.

12	13	14
6. Promotion: through Selection (which will include ordinarily written test and also a viva-voce test) of Group	Group 'B' DPC (for considering promotion) 1. FA &CAO—Chairman	Consultation with the Commission necessary while

सत्यापित
04-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

12	13	14
'C' staff working in the EDP Department holding the post in the grade the minimum of which is Rs. 1400/- and higher Group 'C' Grade on a regular basis provided they have rendered minimum of 3 years of regular service in the grade and they have reached the stage of Rs. 2050. Transfer on deputation. Officers under the Central Government/Zonal Railways/Production Units/Railway Boards Secretariat/Research Designs & Standards Organisation:- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300-2600 on equivalent; and (b) possessing the educational qualifications & experience prescribed for direct recruits under Column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	2. Two other Heads of Departments including Chief Personnel Officer—Member Group 'B' DPC May be given before notifiying the recruitment rules. Note : The preceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.	making direct recruitment to the post.

[No. 85/E (GR)/I/14/2]
LOVE DEV RAJ. Jt. Director/East (Gztd. Rectt.)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

सा.का.नि. 881. :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय निर्माण संगठन (समूह "ग") भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय निर्माण संगठन (समूह "ग") भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय निर्माण संगठन (समूह "ग") भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में आई.बी.एम. ढंकक पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने (क) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1350-30-1560-ई.बी.-40-2040रुपये"

(ख) स्तंभ 12 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के 950-1500 रुपये वेतनमान वाले ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, उनके पास स्तंभ (8) में अभिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं होनी चाहिए।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[सं. ए-11019/5/88-एच-1]
एच. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th November, 1989

G.S.R. 881.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Buildings Organisation (Group 'C') Recruitment Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Buildings Organisation (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

सत्यापित 04-01-22
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54